

12.3.2016

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुयी । प्रार्थीयां एवं प्रार्थीया के वकील को रूक - रूक कर बार-बार आवाज लगाई गई। प्रार्थीया एवं उनके वकील उपस्थित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल मूल वाद हो।

